सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :- सुश्री मनीषा (आर0 ए0 एस0)
मुकदमा नं0 :- 59/2020
दायर दिनांक :- 27.11.2020

उनवान

1. विमला पत्नि शंकर लाल
2. निशा पुत्री शंकरलाल
3. थाईष्का पुत्री शंकरलाल

जाति गुर्जर ढाणी बाग ग्राम भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा।

बनाम

1. हीरा देवी पत्नि जगदीश प्रसाद
2. गिर्राजी देवी पत्नि रामचन्द्र

जाति गुर्जर ढाणी बाग ग्राम भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा।

3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार दौसा जिला दौसा।

उपस्थित : 1. श्री रघुवीर सिंह, अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. श्री चरणसिंह, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 12:11:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा - अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्ताकारी अधि0

::निर्णय::

दिनांकः 14.12.2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम भाण्डारेज पटवार हल्का भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा में भूमि आराजी खसरा नं. 7028/4 रकबा 0.51 है0 तथा खसरा नं. 7028/7 रकबा 0.63 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.14 है0 स्थित है। वादग्रस्त आराजी को वादीयां के दारी ससुर व प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के पड़दादा ने अपनी बहु हीरादेवी पत्नि जगदीश प्रसाद के नाम से खरीद किया था। खातेदार हीरा देवी के एकमात्र सन्तान शंकरलाल है व वादियां विमला हीरालाल की विवाहिता पत्नि है। प्रार्थी संख्या 2 व 3 शंकरलाल की पुत्रियां एवं खातेदार हीरादेवी पत्नि जगदीश प्रसाद की पौत्रिया है। इस प्राकर उक्त आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पैतृक सम्पत्ति है एवं वादीया के विवाह के पश्चात उक्त पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा है व वादीया निशा व थाईष्का का संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पत्ति में अपने जन्म से ही हित व अधिकार है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबन्धित फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा नं. 7028/4 रकबा 0.51 है0 तथा खसरा नं. 7028/7 रकबा 0.63 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.14 है0 वाके ग्राम भाण्डारेज तह0 व जिला दौसा को कथित विक्रय पत्र की आड़ में उक्त आराजी के किसी भू-भाग अन्तरण किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था के नाम विक्रय पत्र, दान पत्र, बंधक पत्र आदि प्रलेख निष्पादित अथवा पंजीकृत न करवाने हेतु पाबन्द रहे तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर एकतरफा वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दिनांक 27.11.2021 को प्रकरण को दर्ज कर मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीयण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया। दिनांक 16.12.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मुदगल द्वारा पावार पेश किया गया। दिनांक 28.12.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब पेश किया गया। हम प्रकरण को अस्थायी निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 12:11:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

1. **<u>प्रथम दृष्ट्या मामलाः-</u>** इस अर्थ यह कतई नही है कि मामला पूर्णतः साबित कर दिया क्युंकि यह साक्ष्य का विषय है प्रथम दृष्ट्या मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीण को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त नही है।

उपयुक्त प्रार्थना पत्र में ग्राम भाण्डारेज पटवार हल्का भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा में भूमि आराजी खसरा नं. 7028/4 रकबा 0.51 है0 तथा खसरा नं. 7028/7 रकबा 0.63 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.14 है0 भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति है एवं अप्रार्थी संख्या 1 उक्त आराजी की रिकार्डेड खातेदार है। हमारा विनम्र अभिमत है कि खातेदारी अधिकार नही होने से प्रथम दृष्ट्या मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में जाता है।

2. **<u>सुविधा का संतुलनः-</u>** अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा के संतुलन में एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है इसका सामान्य तात्पर्य है कि हस्गत प्रकरण में व्यादेश नही दिया गया तो अप्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा होगी या नही होगी।

चूंकि हस्तगत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुका। तथा प्रार्थीगण के पास खातेदारी अधिकार नही होने से सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है।

3. **<u>अपूरणीय क्षतिः-</u>** उक्त प्रार्थना के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनो अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित हुये है।

अतः हमारा भी विनम्र अभिमत है कि अप्रार्थीगण के पक्ष में तीनो बिन्दू यथाः- प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना को खारिज किया जाना हम विधि संगत समझते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 12:11:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

:: आदेश ::

अतः उपयुक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भलीभांति साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कद्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

मनीषा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
दौसा, दौसा

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 12:11:26 IST
Reason: SelfAttested